वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 11.10.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर" अमर उजाला, आज, न्यायाधीश, यूनाइटेड भारत,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 11.10.2025

अवैध प्लॉटिंग कराने वाले पर एफआईआर

वाराणसी। वीडीए की ओर से शुक्रवार को अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ रोहनिया थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग ने बताया कि नगवां वार्ड के मिसिरपुर पंडितपुर में तीन बीघे की अवैध प्लॉटिंग हो रही थी। शिकायत पत्र ज्योति अग्रवाल ने दिया था। पाया गया कि अज्ञात की ओर से बिना तल पट मानचित्र स्वीकृत कराए 3 बीघा भूमि में अवैध प्लॉटिंग की गई थी। प्राधिकरण ने पूर्व में ध्वस्तीकरण का आदेश दिया था। ब्यूरो

आज–दि0 11.10.2025

अवैध होटल निर्माण पर कालनाइजर के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

विप्रा उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के निर्देश पर कालनाइजर अमित सिंह के ऊपर प्राथमिकी दर्ज करा दी गयी है। कालनाइजर ने स्वीकृत मानचित्र के विपरीत होटल का निर्माण कराया है। मौके पर पहुंची विप्रा के अभियंताओं और अधिकारियों ने मानचित्र की जांच पड़ताल की, जिसमें उन्होंने पाया कि कालनाइजर ने आवासीय निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृत कराया था, लेकिन उन्होंने होटल का निर्माण करा दिया था। प्राधिकरण के अभियंताओं ने मानचित्र निरीक्षण के बाद देखा कि भवन स्वामी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए होटल का निर्माण कराया है। अधिकारियों के निर्देश पर संबंधित थाने में कालनाइजर के विरुद्ध प्राथमिक दर्ज करा दी गयी है। जानकारी के अनुसार विप्रा उपाध्यक्ष के निर्देश पर विकास प्राधिकरण सीमा में अवैध निर्माण प्लाटिंग, अनाधिकृत होटल और बिना मानचित्रके निर्माण हो रहे आवास के निरीक्षण के लिए अधिकारियों और अभियंताओं की टीम गठित की है। ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त काररवाई होगी जो मानचित्र स्वीकृत के विपरीत निर्माण कार्य करा रहे हैं।

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

न्यायाधीश–दि0 11.10.2025

अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण की डेवलपर एवं कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई जारी

वाराणसी ।उपाध्यक्ष वाविप्रा के निर्देश क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध निर्माणों, अवैध प्लॉटिंग तथा अनधिकृत होटल निर्माणों के विरुद्ध सतत रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य शहर के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना, नियमों के अंतर्गत मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाना तथा अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है।इसी क्रम में कॉलोनाइजर श्री अमित सिंह द्वारा वाराणसी नगर क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के बिना होटल निर्माण कार्य किया गया था। इस अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा तत्काल स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए होटल निर्माण किया गया है।प्राधिकरण द्वारा संबंधित निर्माण की समस्त अभिलेखीय जांच की गई, जिसमें यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि होटल 'मुलाकात' का स्वीकृत नक्शा मालिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर प्राधिकरण द्वारा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कॉलोनाइजर श्री अमित सिंह के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु पत्र संबंधित थाने में रिसीव करा दिया गया है।इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा होटल मालिक को कारण बताओ नोटिस व इनके द्वारा और भी अवैध प्लाटिंग, अवैध होटल की तलाश किया जा रहा है, जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि वह निश्चित अवधि के भीतर स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करें, अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा।

यूनाइटेड भारत–दि0 11.10.2025

अवैध निर्माणों पर प्राधिकरण की डेवलपर व कॉलोनाइजर पर सख्त कार्रवाई जारी

वाराणसी। उपाध्यक्ष के निर्देश क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में अवैध निर्माणों, अवैध प्लॉटिंग तथा अनधिकृत होटल निर्माणों के विरुद्ध सतत रूप से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान का उद्देश्य शहर के सुव्यवस्थित विकास को सुनिश्चित करना, नियमों के अंतर्गत मानचित्र स्वीकृत कराने की प्रक्रिया को अनिवार्य बनाना तथा अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित करना है। इसी क्रम में कॉलोनाइजर श्री अमित सिंह द्वारा वाराणसी नगर क्षेत्र में स्वीकृत मानचित्र के बिना होटल निर्माण कार्य किया गया था। इस अवैध निर्माण की सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम द्वारा तत्काल स्थल का निरीक्षण किया गया, जिसमें पाया गया कि संबंधित व्यक्ति द्वारा नियमों की अवहेलना करते हुए होटल निर्माण किया गया है। प्राधिकरण द्वारा संबंधित निर्माण की समस्त अभिलेखीय जांच की गई, जिसमें यह तथ्य स्पष्ट हुआ कि होटल मुलाकात का स्वीकृत नक्शा मालिक द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस पर प्राधिकरण द्वारा नियमों के अंतर्गत कार्रवाई करते हुए कॉलोनाइजर श्री अमित सिंह के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कराने हेतु पत्र संबंधित थाने में रिसीव करा दिया गया है। इसके अतिरिक्त प्राधिकरण द्वारा होटल मालिक को कारण बताओ नोटिस व इनके द्वारा और भी अवैध प्लाटिंग, अवैध होटल की तलाश किया जा रहा है, जिसमें यह निर्देशित किया गया है कि वह निश्चित अवधि के भीतर स्वीकृत मानचित्र प्रस्तुत करें, अन्यथा प्राधिकरण नियमानुसार ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सुनिश्चित करेगा। वाराणसी विकास प्राधिकरण द्वारा अवैध कॉलोनाइजरों, बिल्डरों एवं होटल मालिकों के विरुद्ध यह अभियान निरंतर जारी रहेगा। किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के निर्माण, प्लॉटिंग अथवा व्यवसायिक प्रतिष्ठान का निर्माण करने पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। (प्राधिकरण ने आम नागरिकों से भी अपील की है कि वे किसी भी प्रकार के निर्माण कार्य आरंभ करने से पूर्व मानचित्र स्वीकृत अवश्य कराएं तथा ऐसे कॉलोनाइजरों या बिल्डरों के प्रलोभन में न आएं जो नियमों की अनदेखी करते हैं।)